न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ब्रह्म लाल जाट (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 84/2023 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा **बनाम** 1. मदनलाल पिता चम्पालाल कलाल (टांक) निवासी रसदपुरा हा.मु. बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

–प्रार्थी –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन नियम 1970 के नियम 14(1) परन्तुक

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 17.10.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रसदपुरा की आ.न. 82/9 कुल रकबा 0.9712 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 05.04.1980 को आवंटन की गयी। आराजी संख्या 82/9 में आवंटित 0.9712 हैक्ट. भूमि में से 0.5958 हैक्ट. भूमि गैर खातेदार के कब्जे में नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (रा. उ. मा.वि. रसदपुरा का भवन मय चारदीवारी 0.5040 हैक्ट., पटवार भवन हेतु 0.0162 हैक्ट. एवं मुख्य सडक से चम्बल परियोजना अन्तर्गत निर्मित आरोली फिल्टर प्लांट रास्ते हेतु 0.0756 हैक्ट.) हेतु उपयोग मे आने से 0.5958 हैक्ट. भूमि को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(1) परन्तुक अनुसार भूमि गैर खातेदारी से निरस्त करा बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। दौराने बहस उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी की ओर से जवाब एवं लिखित बहस पेश की गयी। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम रसदपुरा की आ.न. 82/9 कुल रकबा 0.9712 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 05.04.1980 को आवंटन की गयी। आराजी संख्या 82/9 में आवंटित 0.9712 हैक्ट. भूमि में से 0.5958 हैक्ट. भूमि गैर खातेदार के कब्जे में नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (रा. उ. मा.वि. रसदपुरा का भवन मय चारदीवारी 0.5040 हैक्ट., पटवार भवन हेतु 0.0162 हैक्ट. एवं मुख्य सडक से चम्बल परियोजना अन्तर्गत निर्मित आरोली फिल्टर प्लांट रास्ते हेतु 0.0756 हैक्ट.) हेतु उपयोग मे आने से 0.5958 हैक्ट. भूमि को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(1) परन्तुक अनुसार भूमि गैर खातेदारी से निरस्त करा बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब एवं लिखित बहस के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम रसदपुरा की आ.न. 82/9 कुल रकबा 0.9712 हैक्ट. भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 05.04.1980 को आवंटन की गयी। आराजी संख्या 82/9 में आवंटित 0.9712 हैक्ट. भूमि में से 0.5958 हैक्ट. भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (रा. उ. मा.वि.

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रसदपुरा का भवन मय चारदीवारी 0.5040 हैक्ट., पटवार भवन हेतु 0.0162 हैक्ट. एवं मुख्य सडक से चम्बल परियोजना अन्तर्गत निर्मित आरोली फिल्टर प्लांट रास्ते हेतु 0.0756 हैक्ट.) हेतु उपयोग मे आने से कुल 0.5958 हैक्ट. भूमि को राजकीय हितार्थ छोड़ने पर अथवा बिलानाम सरकार किये जाने में विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है। शेष 0.3754 हैक्ट. भूमि पर मेरा कब्जा होने से एवं आवंटन शर्तों की पालना करने से मुझ विपक्षी के नाम पर खातेदारी दर्ज करायी जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि विपक्षी को आवंटित ग्राम रसदपुरा की आ.न. 82/9 कुल रकबा 0.9712 हैक्ट. भूमि में से 0.5958 हैक्ट. भूमि गैर खातेदार के कब्जे में नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (रा. उ. मा.वि. रसदपुरा का भवन मय चारदीवारी 0.5040 हैक्ट., पटवार भवन हेतु 0.0162 हैक्ट. एवं मुख्य सडक से चम्बल परियोजना अन्तर्गत निर्मित आरोली फिल्टर प्लांट रास्ते हेतु 0.0756 हैक्ट.) हेतु उपयोग मे आ रही हैं। अतः कुल 0.5958 हैक्ट. भूमि पर विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही करना प्रकट होता हैं। विपक्षी स्वयं ने भी अपने जवाब एवं लिखित बहस में उक्त आराजी संख्या 82/9 में से रकबा 0.5958 हैक्ट. भूमि को सार्वजनिक हितार्थ छोड़ने अथवा बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने पर सहमति प्रकट की हैं।

उक्त विवेचन अनुसार ग्राम रसदपुरा की आराजी संख्या 82/9 कुल रकबा 0.9712 हैक्ट. में से रकबा 0.5958 हैक्ट. भूमि पर आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(1) परन्तुक की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(1) परन्तुक बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम रसदपुरा के आराजी नं. 82/9 कुल रकबा 0.9712 हैक्ट. भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही भूमि को, रकबा 0.5958 हैक्ट. के आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं शेष रकबे के संबंध में विधिक हक/अनुतोष हेतु प्रार्थी व विपक्षी स्वतंत्र हैं।

तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रसदपुरा की आ.न. 82/9 में से 0.5958 हैक्ट. भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (रा. उ. मा.वि. रसदपुरा का भवन मय चारदीवारी 0.5040 हैक्ट., पटवार भवन हेतु 0.0162 हैक्ट. एवं मुख्य सडक से चम्बल परियोजना अन्तर्गत निर्मित आरोली फिल्टर प्लांट रास्ते हेतु 0.0756 हैक्ट.) भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा